>

Title: Need to remove discrepancies in the recommendations made by the Delimitation Commission.

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है कि सन् 2002 में लोकसभा ने अपनी शक्ति के अनुरूप परिसीमन आयोग को इस निर्देश के साथ कहा था कि लोक सभा और विधान सभा की सीटों का परिसीमन उसके भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाये। इसके साथ यह भी गाइडलाइन्स जारी की गई थी कि कमिश्नरी के बाहर कोई लोक सभा और विधानसभा क्षेत्र न हो । आयोग ने जो परिसीमन किया है, उसका जनता ने प्रोटैस्ट किया है। झारखंड में आज भी प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में मुज़फ्फरपुर जिले में हुआ है जहां लोगों को सुना नहीं गया और उन्हें भगा दिया गया। जहां तक परिसीमन की बात है, पूरे देश में इस बात का विरोध हुआ है कि यह गलत तरीके से किया गया है। पूरे पार्लियामेंटरी और विधानसभा क्षेत्र को सभी अधिकार नहीं मिलते हैं। इस सब के बावजूद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदल देना, संसद सदस्य के क्षेत्र का नाम बदल देना, उसके बाद भौगोलिक दृष्टिकोण से एक-एक विधानसभा क्षेत्र 74-74 किलोमीटर तक ले जाना, जैसे पगडंडी बना दी गई हो...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: This cannot be done.

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह अधिकार है।[s10] सदन में बराबर सरकार की तरफ से चर्चा चलती है कि 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देना है तो सीटें बढ़ानी होंगी। यदि 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सीटें बढ़ानी हैं और परिसीमन आयोग तीन महीने का समय मांगता है तो आप एक साल का समय देते हैं। पहले आप इस परिसीमन को बदलिये। जो जो नयी सीटें बदलनी हैं या महिलाओं को आरक्षण देना है, उसको लेकर नया परिसीमन कराकर देश में परिसीमन लागू कीजिए। यह परिसीमन बहुत ही गड़बड़ हुआ है। परिसीमन आयोग ने जो काम किया है, वह बहुत अच्छा नहीं किया है, यह हम आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं।

MR. SPEAKER: Shri Devendra Prasad Yadav, please be brief because a very important financial matter is pending.